रिक्ति अधिसूचना संदर्भ पीएण्डए/ 18 (204)/2018 खंड II (A) दिनांक 25 दिसंबर 2025

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), भारत सरकार की एक सूचीबद्ध प्रीमियर मिनिरत्न कंपनी, **सीएसएल- मुंबई पोत मरम्मत यूनिट (सीएमएसआरयू), मुंबई केलिए निम्नलिखित पर्यवेक्षी पदों** को भरने केलिए पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अनुभवी पेशेवरों से, जो भारतीय नागरिक हैं, से **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित करती है।

क. पदों का नाम, शैक्षिक योग्यता और अनुभव

तालिका 1

क्र.सं.	पद का नाम	शैक्षिक योग्यता और अनुभव
1	सहायक अभियंता (आयुध)	राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से यांत्रिक/विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा या पूर्व सैनिकों के मामले में समकक्ष योग्यता। भारतीय नौसेना/पोत निर्माण/पोत मरम्मत/इंजीनियरिंग कंपनी में नौसेना के जलयानों/तटरक्षक जलयानों पर हथियार संबंधी मशीनरी, संचार, सेंसर और युद्ध प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना, संचालन, रखरखाव, मरम्मत, परीक्षण और कमीशनिंग से संबंधित किसी भी क्षेत्र में न्यूनतम नौ वर्ष का अनुभव।
2	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	कला/विज्ञान/वाणिज्य में डिग्री या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से वाणिज्य कार्य/कंप्यूटर इंजीनियरिंग/सूचना प्रौद्योगिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। कार्यालय कार्य, ईआरपी सिस्टम अद्यतन करना, श्रम घंटे बुकिंग, डेटा एंट्री, रिकॉर्ड और रिपोर्ट तैयार करना, फाइलों, रजिस्टरों और अभिलेखों का रखरखाव आदि से संबंधित मामलों में सात वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जिसमें से दो वर्ष पर्यवेक्षक पद पर होना चाहिए, और कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना अनिवार्य है।

ख. महत्वपूर्ण तिथियां:

ऑनलाइन आवेदन की शुरूआत : 25 दिसंबर 2025
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि : 19 जनवरी 2026

ग. रिक्तियों की संख्या और आरक्षण

तालिका 2

पदों का नाम	अनारक्षित	कुल
सहायक अभियंता (आयुध)	1	**1**
सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1	**1**
कुल	**2**	**2**

क) रिक्तियों की संख्या बढाने /घटाने या किसी भी रिक्तियों को न भरने या भर्ती प्रक्रिया को अपनी आवश्यकता के अनुसार रद्द करने का अधिकार सीएसएल पर निर्भर है ।

ख) बैंचमार्क दिव्यांगजन व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित दिव्यांगजन भी नीचे उल्लिखित पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं : -

तालिका 3

पदों का नाम	वर्ग	बैंचमार्क दिव्यांगज
सहायक प्रशासनिक अधिकारी	वर्ग (क)	कम दृष्टि।
	वर्ग (ख)	बहरा और सुनने में कठिनता।
	वर्ग (ग)	एक हाथ, एक पैर, दोनों पैर, कार्यात्मक दिव्यांगता के बिना ठीक हुए कुष्ठ रोग, बौनापन, बिना किसी अन्य कार्यात्मक दिव्यांगता के एसिड अटैक पीडित।

(i) सीएसएल मुंबई पोत मरम्मत यूनिट (सीएमएसआरयू) जोखिम संबंधी कार्य में लगी हुई है। ऊपर “पहचानी गई दिव्यांगजन” के अलावा अन्य पीडब्ल्यूबीडी की तैनाती से उन्हें गंभीर जोखिम में डालने की संभावना हैं, इसलिए उसे शामिल नहीं किया गया है।

(ii) उपरोक्त बताए गए दिव्यांग पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को सीएसएल द्वारा सौंपे गए काम करने में सक्षम होना चाहिए।

घ. वेतनमान, लाभ व तैनाती का स्थान :

क) ग्रेड और वेतनमान : -

तालिका 4

ग्रेड	वेतनमान
पीएस –I	₹ 28000-3%-110000

ख) तिथि के अनुसार मासिक परिलब्धियां : -

तालिका 5

क्र.सं.	वेतन प्रकार	राशि (₹)
1	मूल वेतन	₹28000.00
2	महंगाई भत्ता (वर्तमान में 51.8%)	₹14504.00
3	मुंबई में मकान किराया भत्ता (वर्तमान में 30%)	₹8400.00
4	अनुलब्धियां और भत्ता (35%)	₹9800.00
कुल		**₹ 60704.00**

ग) पद केलिए नई पेंशन योजना के तहत अन्य लाभ, अंशदायी भविष्य निधि, दुर्घटना बीमा कवरेज, अंशदायी चिकित्सा बीमा पॉलिसी के तहत चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति, छुट्टी नकदीकरण, कार्य- निष्पादन संबंधी भुगतान आदि जैसा स्वीकार्य हो, लागू होगा।

घ) तैनाती सीएसएल द्वारा वांछितानुसार सीएसएल मुंबई पोत मरम्मत यूनिट (सीएमएसआरयू) / कोई अन्य सीएसएल यूनिट/ अन्य परियोजना स्थलों पर होगी। हालांकि, परियोजना आवश्यकताओं के आधार पर, उम्मीदवारों को सीएसएल की विभिन्न इकाइयों में स्थानांतरित किया जा सकता है। पदों पर नियुक्ति के साथ सीएसएल के किसी भी विभाग या ऑनबोर्ड पोत पर या किसी अन्य यूनिट/ कार्य स्थल/ भारत या विदेश के किसी भी भाग में आरंभ की गई परियोजना, जैसे भी मामला हो, में सेवा करने का दायित्व है।

ङ) चयनित उम्मीदवार को न्यूनतम वेतनमान में रखा जाएगा और वेतन सुरक्षा पर विचार नहीं किया जाएगा।

ङ. आयु :

क) **अधिकतम आयु दिनांक 19 जनवरी 2026 को 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए,अर्थात् आवेदकों का जन्म दिनांक 20 जनवरी 1981 को या उसके बाद होना चाहिए ।**

ख) बैंचमार्क दिव्यांगजन व्यक्तियों और भूतपूर्व सैनिकों केलिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट होगी। फिर भी, किसी भी मामले में, सभी छूट लगाने के बाद आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक न हो।

च. चयन की रीति:

क) चयन की रीति में निम्नलिखित शामिल होंगे : -

(i) **चरण I – लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा – 40 अंक व विवरणात्मक प्रकार की परीक्षा – 40 अंक)**

(ii) **चरण II – कार्य अनुभव पर पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण (20 अंक)**

ख) ऑनलाइन आवेदनों की संख्या के आधार पर, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा मुंबई या सीएमएसआरयू द्वारा निर्धारित किसी अन्य स्थान पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र का आवंटन पूरी तरह सीएसएल के विवेकाधिकार पर होगा।

ग) **चरण I - वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा 45 मिनट की होगी और** इसमें दो भाग होंगे – **सामान्य (भाग क) और विषय संबंधी (भाग ख)।** भाग क में सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, तर्क और मात्रात्मक योग्यता शामिल हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के प्रश्न पत्र का स्वरूप, प्रश्नों की संख्या और अंकों का आवंटन नीचे विस्तार से दिया गया है:

तालिका 6

प्रत्येक अनुभाग में प्रश्नों की संख्या/अनुभाग के अनुसार अंक *					वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए प्रश्नों की कुल संख्या / अधिकतम अंक
सामान्य ज्ञान	सामान्य अंग्रेज़ी	तर्क	मात्रात्मक योग्यता	विषय से संबंधित	
5	5	5	5	20	40

* प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा।

घ) विवरणात्मक प्रकार की लिखित परीक्षा 40 अंकों की होगी और इसकी अवधि 90 मिनट होगी, जिसमें विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।

ङ) वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा व विवरणात्मक प्रकार की परीक्षा केलिए विस्तृत पाठ्यक्रम **अनुलग्नक 1** में दिया गया है। कृपया ध्यान दें कि दिया गया पाठ्यक्रम केवल सांकेतिक है तथा संपूर्ण नहीं है ।

च) चरण I - वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर अंक सूची तैयार की जाएगी। केवल उन्हीं उम्मीदवारों की विवरणात्मक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा, जिन्होंने वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों और जो अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हों।

छ) वस्तुनिष्ठ और विवरणात्मक परीक्षाओं केलिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निम्नानुसार हैं : -
अनारक्षित पदों केलिए– प्रत्येक परीक्षा के कुल अंकों का 50 %
पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों केलिए (सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद केलिए) – प्रत्येक परीक्षा के कुल अंकों का 40 %

ज) न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने वाले और अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए चयनित किया जाएगा। सीएसएल योग्यता क्रम के अनुसार प्रति पद कम से कम 6 उम्मीदवारों के अनुपात में प्रमाणपत्र सत्यापन हेतु पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों को बुलाएगा। केवल वे उम्मीदवार जो प्रमाणपत्र सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा करते है, उन्हें चरण II में भाग लेने के लिए चयनित किया जाएगा।

झ) प्रमाणपत्र सत्यापन के बाद, चरण II पात्र उम्मीदवारों के साथ आयोजित किया जाएगा, भले ही सीएसएल द्वारा निर्धारित 1:6 के अनुपात से कम उम्मीदवार हों।

ञ) चरण II (पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण) सीएसएल-मुंबई पोत मरम्मत यूनिट या सीएसएल द्वारा निर्धारित किसी अन्य स्थान पर आयोजित किया जाएगा। पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण की अवधि दस मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसमें उम्मीदवारों के कार्य अनुभव पर प्रकाश डाला जाएगा।

ट) प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की संख्या के आधार पर, सीएसएल विभिन्न पदों केलिए आवेदनों की जांच करने और ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में आवेदकों द्वारा अपलोड किए गए प्रमाणपत्रों के माध्यम से निर्धारित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के आधार पर उम्मीदवारों को लघुसूची तैयार करने का अधिकार है, केवल ऐसे लघुसूचीगत उम्मीदवारों को ही चयन में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

ठ) चरण I और चरण II में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल के आधार पर, सभी चरणों में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की रैंक सूची तैयार की जाएगी। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों द्वारा समान कुल अंक प्राप्त किए जाते हैं, तो वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के विषय भाग में प्राप्त अंकों के आधार पर रैंक सूची के क्रम निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद टाई होने की स्थिति में, उम्र में वरिष्ठता के आधार पर संबंधित योग्यता तय की जाएगी।

छ. शर्तें:

क) आरक्षण :

(i) आरक्षण पर भारत सरकार के निदेश लागू होंगे।

(ii) सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद केलिए, बैंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के मामले में, दिव्यांगजता की डिग्री न्यूनतम 40% होनी चाहिए। आवेदक को इसके लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया *एक वैध दिव्यांगता प्रमाणपत्र* निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना चाहिए।

(iii) भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा: - भूतपूर्व सैनिक वह व्यक्ति है

(क) जो भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना में लड़ाकू या गैर-लड़ाकू के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो, और

i. जो या तो अपने स्वयं के अनुरोध पर या पेंशन प्राप्त करने के बाद नियोक्ता द्वारा कार्यमुक्त किए जाने पर ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त या कार्यमुक्त या सेवामुक्त हो गया हो; या

ii. जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया हो और उसे चिकित्सा या अन्य अशक्तता पेंशन प्रदान की गई हो; या

iii. जो स्थापना में कटौती के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से मुक्त हो गया हो।;

(ख) जिसे नियुक्ति की विशिष्ट अवधि पूरी करने के पश्चात्, उसके स्वयं के अनुरोध के अतिरिक्त, या कदाचार या अकुशलता के कारण बर्खास्तगी या सेवामुक्ति के माध्यम से ऐसी सेवा से मुक्त किया गया है और उसे उपदान दिया गया है; और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक सम्मिलित हैं, अर्थात् निरंतर सेवा या अर्हक सेवा के खंडित अवधियों के लिए पेंशन धारक; या

(ग) सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना का हिस्सा हैं और पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में वापस आए बिना सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, या सैन्य सेवा या उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के

कारण या उनके कारण बढ़े हुए चिकित्सा आधार पर सेना डाक सेवा से मुक्त हुए हैं और जिन्हें चिकित्सा या अन्य अशक्तता पेंशन दी गई है; या

(घ) कार्मिक, जो दिनांक 14 अप्रैल, 1987 से पूर्व छह महीने से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर थे; या

(ङ) प्रादेशिक सेना के कार्मिकों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता; अथवा

(च) भूतपूर्व भर्ती किए गए कर्मियों को चिकित्सा आधार पर सेवामुक्त कर दिया गया या चिकित्सा अशक्तता पेंशन प्रदान की गई।

ख) योग्यता :

(i) पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता एआईसीटीआई/ उपयुक्त वैधानिक प्राधिकरण/ राज्य/ केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान/ परीक्षा बोर्ड से होनी चाहिए।

(ii) सहायक अभियंता (आयुध) के पद के लिए, बिना निर्धारित योग्यता वाले, लेकिन बी.टेक, एम.एससी. आदि उच्च योग्यता रखने वाले आवेदकों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iii) किसी भी निर्धारित योग्यता के समकक्ष योग्यता रखने वाले आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी समकक्षता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और ऐसे प्रमाणपत्र के बिना उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iv) आवेदकों को पदों के लिए जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन में अर्हक परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों का सटीक प्रतिशत भरना आवश्यक है। कुछ विश्वविद्यालय /संस्थान /परीक्षा बोर्ड श्रेणी या अंकों का प्रतिशत नहीं देते हैं और समग्र ग्रेड अंक आबंटित करते है (जैसे, सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई, आदि)। यदि विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड कुल ग्रेड अंक को श्रेणी और /या अंकों के प्रतिशत में बदलने का मानदंड निर्धारित करते है, तो उसे स्वीकार किया जाएगा। हालांकि, जहां विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा कुल ग्रेड अंक को श्रेणी और/या अंकों के प्रतिशत में बदलने के मानदंड को निर्धारित नहीं करता है, वहां अपेक्षित प्रतिशत अंक प्राप्त करने के लिए कुल ग्रेड अंकों को 10 से गुणा किया जा सकता है।

ग) अनुभव :

(i) **उपरोक्त मद "क" के अनुसार निर्धारित योग्यता उत्तीर्ण करने की तिथि के बाद प्राप्त अनुभव पर ही विचार किया जाएगा। योग्यता के बाद के अनुभव की अवधि की गणना दिनांक 19 जनवरी 2026 से की जाएगी ।**

(ii) प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत संबंधित अनुशासन में पूर्ण की गई प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि को अनुभव माना जाएगा। पारिश्रमिक के साथ किसी भी प्रशिक्षण को भी अनुभव माना जाएगा।

हालांकि, दो साल के पर्यवेक्षी अनुभव की गणना में प्रशिक्षण की अवधि को शामिल नहीं किया जाएगा।

(iii) **कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत कंपनियों या समकक्ष स्थिति वाली विदेशी कंपनियों से प्राप्त अनुभव प्रमाणपत्रों को ही लघुसूचीगत करने और चयन केलिए विचार किया जाएगा।**

(iv) आवेदक जो हाल ही में किसी कंपनी (निजी/सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी) में कार्यरत हैं, वे अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में, **कंपनी द्वारा जारी नियुक्ति आदेश या प्रस्ताव पत्र की प्रति, नवीनतम वेतन पर्ची या आखिरी वेतन की प्रति आदि अनुभव के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं । पिछले रोज़गार के लिए कार्यभार ग्रहण करने के साथ-साथ कार्यमुक्ति की तिथि का उल्लेख करते हुए अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।** प्रमाणपत्र सत्यापन प्रक्रिया के दौरान, उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में जमा किए गए अनुभव को स्थापित करने केलिए भी सभी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न होने पर, उन्हें आगे की चयन केलिए विचार नहीं किया जाएगा ।

(v) **पंजीकृत कंपनियों द्वारा लगे ठेकेदारों (स्वामित्व वाली फर्मों और साझेदारी फर्मों) से प्राप्त कार्य अनुभव को ठेकेदार द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों पर प्रधान नियोक्ता के पृष्ठांकन के आधार पर माना जा सकता है । ऐसे आवेदकों को ईएसआई/ईपीएफ विवरण जैसे अन्य प्रमाणों के साथ अपने अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा । प्रधान नियोक्ता के पृष्ठांकन के बिना ठेकेदारों द्वारा जारी किए गए प्रशिक्षण प्रमाणपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा ।**

(vi) नियमित सरकारी सेवा या सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक या अन्य समान संगठनों में कार्यरत आवेदकों को अपने आवेदन सीधे सीएसएल को ऑनलाइन जमा करने चाहिए। हालाँकि, ऐसे आवेदकों को एक घोषणापत्र (**अनुलग्नक- II** के अनुसार) अपलोड करना होगा कि उन्होंने अपने नियोक्ता को लिखित रूप से सूचित कर दिया है कि उन्होंने सीएसएल द्वारा अधिसूचित पद के लिए आवेदन किया है। यदि नियोक्ता की ओर से कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो ऐसे आवेदकों की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

(vii) आवेदक जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उन्हें सशस्त्र बलों से सेवामुक्ति प्रमाणपत्र/बुक/ पेंशन भुगतान आदेश प्रस्तुत करना चाहिए । जिन भूतपूर्व सैनिकों को उनके सेवामुक्ति प्रमाणपत्र / बुक में योग्यता का समर्थन किया गया है, उन्हें सशस्त्र बलों में संबंधित शाखा में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए । योग्यता की समकक्षता का दावा करने वाले भूतपूर्व सैनिकों को समकक्षता का प्रमाण पत्र या उसी के सेवामुक्ति प्रमाणपत्र में प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र (भारत सरकार द्वारा जारी आदेश देखें) प्रस्तुत करना चाहिए, साथ ही सशस्त्र बलों में संबंधित व्यापार/अनुशासन में योग्यता और कार्य अनुभव दर्शाने वाले प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने चाहिए, जो अनुभव के प्रमाण के रूप में कार्य करते हों

और प्रमाण पत्र सत्यापन प्रक्रिया के दौरान इन्हें प्रस्तुत करना चाहिए। उन्हें संबंधित अधिकारियों से अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(viii) वे भूतपूर्व सैनिक, जो भूतपूर्व सैनिक के रूप में उन्हें दिए गए लाभों का लाभ उठाने के बाद सिविल स्तर पर किसी सरकारी नौकरी में पुनः नियोजित होते हैं, सरकार में पुनः नियोजित होने के प्रयोजन हेतु उनकी भूतपूर्व सैनिक स्थिति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36034/27/84-स्था.(एससीटी) दिनांक 02.05.1985, 36034/6/90-स्था.(एससीटी) दिनांक 02.04.1992 और 36034/1/2014-स्था.(एससीटी) दिनांक 14.08.2014 द्वारा शासित होगी। **सभी भूतपूर्व सैनिकों को ऑनलाइन आवेदन के साथ एक वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए लाभ (अनुलग्नक- III के अनुसार) प्राप्त करने के बाद उन्हें सरकार में पुनः नियोजित नहीं किया गया है।**

(ix) आवेदकों को स्पष्ट रूप से किए गए कार्य की प्रकृति और संबंधित कार्यों में संभाले गए कर्तव्यों, जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करना चाहिए, साथ ही इसके सबूत के तौर पर अनुभव प्रमाण पत्र अधिसूचित पद के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय अपलोड करना होगा।

(x) **कर्मचारी जो वर्तमान में सीएसएल /सीएसएल की किसी अन्य इकाई में नियमित रोल पर कार्यरत हैं, वे सीएसएल द्वारा अधिसूचित समान वेतनमान पर समान पद के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।**

घ) आवेदन शुल्क :

(i) **ऑनलाइन भुगतान विकल्पों (डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ इंटरनेट बैंकिंग/ वॉलेट/ यूपीआई आदि) का उपयोग करके ₹ 400/- (गैर-वापसी योग्य, साथ ही बैंक शुल्क अतिरिक्त)** आवेदन शुल्क भेजा जाना **चाहिए, जिसे दिनांक 25 दिसंबर 2025 से 19 जनवरी 2026 तक हमारी** ऑनलाइन आवेदन सुविधा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है । भुगतान का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ii) **अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) से संबंधित उम्मीदवारों केलिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है ।** सहायक प्रशासनिक अधिकारी के लिए, बेंचमार्क दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) श्रेणी से संबंधित आवेदकों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है ।

(iii) जिन आवेदकों पर शुल्क लागू होता है, यानी ऊपर (ii) में उल्लिखित लोगों को छोड़कर, उन सभी को आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। **यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनकी उम्मीदवारी पर आवेदन शुल्क प्राप्त होने पर ही विचार किया जाएगा।**

ङ) आवेदन कैसे करें :

(i) आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले www.cochinshipyard.in **(कैरियर पृष्ठ->सीएमएसआरयू, मुंबई)** लिंक में प्रकाशित यूज़र मैनुअल और एफएक्यू को पढना चाहिए। आवेदन दो चरण होते हैं –**एक बार पंजीकरण** और **लागू पद केलिए आवेदन प्रस्तुत करना ।** आवेदकों को एक ही पद पर एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं करना चाहिए । एक बार प्रस्तुत किया गया आवेदन अंतिम होगा ।

(ii) अधिसूचित आवश्यकताओं को पूरा करनेवाले आवेदक **एसएपी ऑनलाइन पोर्टल में एक बार पंजीकरण कर सकते हैं और आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं ।** अपना आवेदन करने की सुविधा हमारी वेबसाइट www.cochinshipyard.in **(कैरियर पृष्ठ -> सीएमएसआरयू, मुंबई) के माध्यम से दिनांक 25 दिसंबर 2025 से 19 जनवरी 2026 तक** प्राप्त की जा सकती है । **सीधे या किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।**

(iii) आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, जाति, दिव्यांगजता आदि के प्रमाण के रूप में सभी प्रमाणपत्र और एक हालिया पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ एसएपी ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर अपलोड किया गया है अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(iv) आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सही ढंग से भरी गई है और आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है । ऑनलाइन के माध्यम से अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के बाद, आवेदन में प्रदान किए गए विवरण में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी क्षेत्र में कचरा विवरण भरने से आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है ।

(v) विज्ञापन अधिसूचना के अनुसार सभी मामलों में आवेदन प्रपत्र पूर्ण होना चाहिए। **कृपया ध्यान दें कि अधूरे आवेदन/ वापस लिए गए आवेदन/ मसौदा स्थिति वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा ।** आवेदन को सफलतापूर्वक जमा करने पर, आवेदन की स्थिति **"प्रगति में"** के रूप में (इनप्रोसस) दिखाई जाएगी । आवेदन की प्रस्तुति के बाद ,उम्मीदवार" माई एप्लिकेशन्स" लॉग इन करें और प्रक्रिया की पूर्ति सुनिश्चित करें कि आवेदन की स्थिति **"प्रगति में"** है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रक्रिया पूरी हो गई है। आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने या आवेदन वापस लेने के बाद शुल्क की वापसी पर विचार नहीं किया जाएगा।

(vi) **ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने के बाद, आवेदकों को उनके संदर्भ केलिए सिस्टम द्वारा उत्पन्न एकमात्र पंजीकरण संख्यावाले ऑनलाइन आवेदन की एक सॉफ्ट कॉपी/ मुद्रित प्रति को अपने पास रखना चाहिए । यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, एकमात्र पंजीकरण संख्या केवल ऑनलाइन आवेदन के सफलतापूर्वक प्रस्तुति पर ही प्राप्त की जाएगी ।** ऑनलाइन आवेदन पर पंजीकरण संख्या सीएसएल के साथ किसी भी पत्राचार केलिए उद्धृत की जानी चाहिए ।

(vii) ***आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित प्रति/ प्रमाणपत्र/डीडी/चालान/चेक के रूप में आवेदन शुल्क कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड/ सीएमएसआरयू को डाक द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं है ।***

(viii) वेबसाइट **दिनांक 25 दिसंबर 2025** से आवेदन प्रस्तुत करने के उद्देश्य से कार्यशील रहेगी और ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक **19 जनवरी 2026** है । अंतिम तिथि पर वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक से बचने केलिए, जिसके परिणामस्वरूप आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सीएसएल वेबसाइट पर लॉग इन करें और अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रस्तुत करें । ***आवेदन की अंतिम तिथि को आवेदन करनेवालों को अंतिम तिथि के 1600 बजे के बाद ई-मेल/फोन द्वारा एसएपी आवेदन पोर्टल में कोई समस्या निवारण सहायता/तकनीकी सहायता नहीं मिल सकती है ।***

च) सामान्य :

(i) **आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे पदों के लिए रिक्ति अधिसूचना के अनुसार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।**

(ii) सीएसएल को उम्मीदवारों से शैक्षिक योग्यता,अनुभव,अन्य अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं के समर्थन में किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज़ी प्रमाण का मांग करने का अधिकार है, जैसा कि उनके आवेदन में दर्शाया गया है,और ऐसे प्रश्नों की सूचना/उत्तर केवल ई-मेल cmsru.career@cochinshipyard.in के ज़रिए ही होना चाहिए। हालांकि, सीएसएल निर्धारित तिथि और समय के भीतर ऐसे ई-मेल की किसी भी विलंब/प्राप्ति के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त ऐसे किसी भी प्रश्न के उत्तर पर विचार नहीं किया जाएगा, और इस संबंध में आगे किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iii) लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों के मूल प्रमाणपत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय या सीएसएल किसी अन्य चरण में फिर से सत्यापित किया जाएगा। आयु, योग्यता, अनुभव, जाति, दिव्यांगजता, चिकित्सा स्वस्थता आदि के प्रमाण में मूल प्रमाणपत्रों का सत्यापन और अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने पर उम्मीदवारी पूर्ण रूप से अस्थायी है। प्रमाणपत्र सत्यापन/शामिल होने के समय यदि उपरोक्त सूचीबद्ध उम्मीदवार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं या मूल रूप में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं या यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई जानकारी झूठी/गलत है या किसी भी उचित जानकारी को छिपाया जा

रहा है, तो उम्मीदवार के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा और बिना किसी सूचना के उम्मीदवारी रद्द/अस्वीकार कर दी जाएगी।

(iv) लिखित परीक्षाओं केलिए भाग लेने वाले उम्मीदवारों केलिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। हालांकि, चरण II केलिए उपस्थित होने वाले अ. जा/ अ.ज.जा./ पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार कंपनी के नियमों के अनुसार पदों केलिए स्वीकार्य स्लीपर श्रेणी का रेल/ बस किराया, उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित डाक पते से सीएमएसआरयू/ चरण II चयन प्रक्रिया स्थल तक, प्रमाण प्रस्तुत करने पर, सबसे छोटे मार्ग से आने जाने की पूतिपूर्ति की जाएगी। यात्रा पूतिपूर्ति का दावा करनेवाले उम्मीदवारों को प्रमाणपत्र सत्यापन के समय **खाता संख्या और आईएफएससी कोड के साथ बचत बैंक पासबुक** के पहले पृष्ठ की प्रति जमा करनी होगी और पूतिपूर्ति की पत्र राशि एनईएफटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी। यात्रा किराए की पूतिपूर्ति केवल उन्हीं उम्मीदवारों को की जाएगी जो उपरोक्त विवरण प्रस्तुत करेंगे। हालांकि, प्रमाणपत्र सत्यापन के समय, यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार किसी भी अधिसूचित पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो उसे न तो चयन प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी और न ही किसी यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

(v) **अपात्रता के मामले में आवेदन की अस्वीकृति के संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।**

(vi) **लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों को डाक द्वारा बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा।** उन्हें बुलावा पत्र डाउनलोड करने केलिए ई-मेल/ सीएसएल वेबसाइट www.cochinshipyard.in के माध्यम से सूचित किया जाएगा। **चयन की अनुसूची ईमेल / सीएसएल वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ→सीएमएसआरयू, मुंबई) के माध्यम से लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सूचित की जाएगी।** उम्मीदवारों से अनुरोध है कि चयन से संबंधित अद्यतन केलिए उपरोक्त वेबसाइट **(कैरियर पृष्ठ→ सीएमएसआरयू, मुंबई)** को बार-बार देखें।

(vii) केवल ऑनलाइन के ज़रिए आवेदन जमा करने, बुलावा पत्र जारी होने और चरण I परीक्षा में शामिल होने से आवेदक को उम्मीदवारी की स्वीकृति का कोई अधिकार नहीं मिलेगा या पात्रता मानदंड को पूरा करने की पावती के रूप में नहीं माना जा सकता है।

(viii) चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन और यदि लागू हो तो, जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन के अधीन होगी।

(ix) चयनित उम्मीदवार को कार्यस्थल पर स्मार्ट फोन के उपयोग के संबंध में सीएसएल नीति का अनुपालन करने का वचन देना आवश्यक है।

(x) <u>नियुक्ति के लिए लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सीएसएल द्वारा निर्धारित अस्पतालों में चिकित्सा जांच किया जाना है। सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसी चिकित्सा जांच की रिपोर्ट की जांच की जाएगी और उम्मीदवार की नियुक्ति सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा स्वस्थता के प्रमाणीकरण के अधीन होगी।</u>

(xi) सीएसएल सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पहले से कार्यरत किसी भी उम्मीदवार के पिछले रोजगार से संबंधित वेतन/ छुट्टी वेतन/ उपदान/ पेंशन योगदान आदि केलिए कोई दायित्व वहन नहीं करेगा।

(xii) सभी पदों के लिए रैंक सूची बनाए रखी जाएगी और रैंक सूची की वैधता अवधि अंतिम उम्मीदवार की रिपोर्टिंग की तारीख से 18 महीने तक होगी जो परिणाम के प्रकाशन पर शामिल होने के लिए सलाह दी गई उम्मीदवारों की सूची से, या उसी पद के लिए नई अधिसूचना जारी होने तक होगी। रैंक सूची का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब रैंक सूची में शामिल होने के लिए सलाह दिए गए उम्मीदवार के शामिल न होने के कारण या सीएसएल के विवेक पर रैंक सूची से चयनित उम्मीदवार के बाद में सेवामुक्त होने के कारण कोई रिक्ति उत्पन्न होती है।

(xiii) उपरोक्त या किन्हीं अन्य शर्तों के बावजूद, सीएसएल अधिसूचित रिक्तियों को न भरने का अधिकार भी रखता है। इसके अलावा, अधिसूचित रिक्तियों को भरना, रैंक सूची में उम्मीदवारों की उपयुक्तता, परियोजनाओं की उपलब्धता और नौकरी की आवश्यकताओं के अधीन होगा। यदि आवश्यक हो तो बिना किसी सूचना के या बिना कोई कारण बताए सीएसएल को भर्ती प्रक्रिया प्रतिबंधित करने / बदलने/ रद्द करने/ संशोधित करने का अधिकार है।

(xiv) आवेदन जमा करना आवेदक द्वारा इस रिक्ति अधिसूचना के सभी नियमों और शर्तों के बिना शर्त स्वीकृति के रूप में माना जाएगा।

(xv) इस चयन से संबंधित सभी दस्तावेज़ों को परिणाम के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।

(xvi) इस विज्ञापन से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे या विवाद के संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही और/ या उसके जवाब में एक आवेदन और उसके बाद चयन प्रक्रिया केवल एर्णाकुलम के न्यायालयों/ न्यायाधिकरणों/ फॉरम में संस्थापित किया जा सकता है और ऐसे न्यायालयों/ प्राधिकरणों के पास एकमात्र और अन्य अधिकार क्षेत्र होगा।

(xvii) इस विज्ञापन में कोई संशोधन, सुधार या परिवर्धन केवल सीएसएल वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा।

(xviii) विज्ञापन और चयन के आयोजन से संबंधित किसी और आगे स्पष्टीकरण केलिए हमें कृपया cmsru.career@cochinshipyard.in ईमेल या फोन नं **9840012761** पर संपर्क करें।

"किसी प्रकार की मतार्थना अयोग्यता मानी जाएगी।"

"केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते है।"

ह/-
महाप्रबंधक (मानव संसाधन व अध्ययन विकास)